भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या5285

जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।

12चैत्र, 1947 (शक)

आधार डेटा की लीक होना

5285. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा यूआईडीएआई के अंतर्गत आधार डेटा जैसे सरकारी प्राधिकारियों को प्रस्तुत डेटा को लीक होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अनधिकृत लोगों को व्यक्तियों या नागरिकों का डेटा लीक करने के दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने डेटा संरक्षण करने और डेटा संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):**आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें 133 करोड़ से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और इसने 13,000 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन पूरे किए हैं।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("अधिनियम") प्रत्येक प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कोई भी अन्य जानकारी गोपनीय, सुरक्षित और संरक्षित रखी जाए। अधिनियम और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश निवासियों के डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उपाय प्रदान करते हैं, साथ ही निवासियों को सार्वजनिक और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 के साथ पढ़ा जाए तो इसमें उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा पद्धतियां और प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ("डीपीडीपी अधिनियम"), जिसे व्यापक सार्वजनिक परामर्श और विचार-विमर्श के बाद 11 अगस्त, 2023 को अधिनियमित किया गया, व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा, डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के वैध प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही तंत्र का एक मजबूत ढांचा स्थापित करता है और व्यक्तिगत डेटा उल्लंघनों की स्थिति में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड को शिकायतों की जांच करने, पूछताछ करने और एक स्वतंत्र निर्णायक निकाय के रूप में दंड लगाने का अधिकार देता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और डेटा लीक को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

iii. सर्ट-इन द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबरस्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

iv. मंत्रालयों/संगठनों को संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना सहित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा या सूचना का प्रसंस्करण करने वाली सभी संस्थाओं द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में संवेदनशील बनाया गया है।

v. सर्ट-इन द्वारा सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाओं पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें डेटा सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, पहचान और पहुंच प्रबंधन, एप्लिकेशन सुरक्षा, तृतीय-पक्ष आउटसोर्सिंग, सख्त प्रक्रियाएं, सुरक्षा निगरानी, घटना प्रबंधन और सुरक्षा ऑडिटिंग जैसे डोमेन शामिल हैं और साथ ही सुरक्षित अनुप्रयोग डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन और संचालन के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

vi. सर्ट-इन द्वारा एक स्वचालित साइबर खतरा खुफिया आदान-प्रदान मंच संचालित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों के साथ अलर्ट एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें साझा करना है, ताकि वे सक्रिय रूप से खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई कर सकें।

vii. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है। यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और सर्वोत्तम अभ्यास भी प्रदान करता है।

viii. सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा स्थिति और तैयारियों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं।

ix. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की सुरक्षा और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में नेटवर्क और सिस्टम प्रशासकों तथा सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्र संगठनों के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

***